REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 7 | APRIL - 2024

मध्यप्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का अध्ययन

राकेश कुमार साकेत
शोधार्थी, इतिहास विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डॉ. श्रीमती पुष्पा दुबे
सहायक प्राध्यापक इतिहास
राजभानु सिंह स्मारक महाविद्यालय, मनिकवार, जिला रीवा (म.प्र.)

सारांश –

आम्बेडकर ने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जो पहल की, जो कार्य किये वे हमें भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। आम्बेडकर ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयत्न भारतीय संविधान की रचना के माध्यम से पूर्ण किया। वास्तव में यह सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की स्थापना के लिये उनके द्वारा किये जाने वाले संघर्ष का शंखनाद था। वे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को सामाजिक न्याय की कसौटी मानते थे। आरक्षण का उद्देश्य देश के संसाधनों, अवसरों एवं शासन प्रणाली में समाज के प्रत्येक समूह की उपस्थिति सुनिश्चित करना है।

मुख्य शब्द – मध्यप्रदेश, भूतपूर्व सैनिक, आरक्षण एवं सामाजिक न्याय।

प्रस्तावना –

समाज में देखने में एवं विभिन्न संदर्भ ग्रंथों के अध्ययन पर ज्ञात होता है कि समाज में निवासरत इन विभिन्न वर्ग के लोगों को शासन द्वारा भिन्न–भिन्न परिस्थितियों में आरक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इन्हीं में किसी वर्ग के आरक्षण को कभी प्रतिशत में घटाया या बढ़ाया भी जाता है। इसी प्रकार इनको कुछ निर्धारित अवधि आदि प्रकारों में भी घटाया जाता है। इन्हीं समाज वर्गों में दलित समाज को भी आरक्षण शासन द्वारा प्रदान किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के क्षेत्र में कई विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारा प्रस्ताव इस समाज सेवा को और भी मजबूत करने की दिशा में है। भूतपूर्व सैनिकों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में बिताया है, और उन्हें समाज में सम्मानित होना चाहिए। मध्यप्रदेश राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण को वृद्धि दें। इसके माध्यम से, उन्हें सरकारी नौकरियों और अन्य योजनाओं में प्राथमिकता प्राप्त होगी। एक सशक्त समर्थन कार्यक्रम की आवश्यकता है जो भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण, रोजगार, और आर्थिक सहायता प्रदान कर सके। भूतपूर्व सैनिकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए और उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ, आवास, और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ ही, उन्हें उच्च शैक्षिक और प्रोफेशनल योग्यता के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रमों का

भी लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। हम समाज में समानता और समाजिक न्याय को प्रोत्साहित करेंगे, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक और बेहतर माहौल सृजित किया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर मध्यप्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का संशोधन करते समय ध्यान दिया जाना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों की सामाजिक सुरक्षा का संबंध उनकी विभिन्न आर्थिक, स्वास्थ्य, और सामाजिक आवश्यकताओं से होता है। भूतपूर्व सैनिकों को आर्थिक सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें समाज में स्थिरता और आत्मनिर्भरता की दिशा में मदद प्रदान की जानी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा सुविधाओं का पहुंच सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्हें नियमित चेकअप, उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवाएं, और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की जानी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों को सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि प्रोफेशनल परामर्श, परिवार के सदस्यों के लिए शैक्षिक योजनाएं, और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं। भूतपूर्व सैनिकों को सुरक्षित और उचित आवास की प्राप्ति का हक होना चाहिए। उन्हें आदर्श आवास प्रोजेक्ट्स या अन्य समर्थन स्कीमों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। सामाजिक सहयोग कार्यक्रमों की शुरुआत की जा सकती है जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए मानवीय संपर्क, समर्थन, और सहयोग प्रदान करें।

विश्लेषण –

मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985। सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक 216/384/1/3/74, दिनांक 23, मार्च, 1974।

उपरोक्त ज्ञापन द्वारा मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1974 प्रसारित किये गये थे। अब उनके स्थान पर ''मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985'' लागू किये गये हैं। इस पत्र के साथ इन नियमों की प्रति संलग्न कर शासन की यह अपेक्षा है कि इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये। यह नियम भी पूर्व के नियमों की भाँति दिनांक 2 मार्च, 1975 से प्रवृत्त किये गये हैं।

सैनिकों को रिक्तियों का आरक्षण :–

ऐसी स्थायी रिक्तियों को जो आरंभ में अस्थायी आधार पर भरी गई हों और ऐसी अस्थायी रिक्तियों को, जिनके स्थायी किये जाने की संभावना हो और/या जिनके तीन मास तथा उससे अधिक कालावधि तक बने रहने की संभावना हो, सम्मिलित करते हुए, किसी भी वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी पदों के प्रवर्गों में से प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों का तथा प्रत्येक तृतीय श्रेणी सेवा में ऐसे पदों का दस प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी के प्रवर्गों में से प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों का तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा में ऐसे पदों का बीस प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिये समस्तरीय (होरिजानटली) तथा श्रेणीवार (कंपार्टमेंटबाइज) आरक्षित होगा।

सैनिकों का आयु सीमा के संबंध में उपबंध[1] :–

राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वह इन नियमों के अधीन आरक्षित हो, या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छः मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, वह नियुक्ति चाहता है, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उसके सम्बंध में यह समझा जायेगा कि वह आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

सैनिकों को शैक्षणिक अर्हता के संबंध में विशेष उपबंध[2] :–

(1) चपरासी, दफ्तरी, जमादार तथा अभिलेख छांटने वाले (रिकार्ड सार्टर) के चतुर्थ श्रेणी के पद पर किसी आरक्षित रिक्ति में नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को, जो संघ के सशस्त्र बलों में कम से कम तीन

वर्ष तक सेवा में रहा हो। ऐसे पदों के सम्बंध में विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, यदि कोई हो, से छूट दी जायेगी।

(2) तृतीय श्रेणी पदों पर किसी आरक्षित रिक्ति में नियुक्ति के लिये भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में जो संघ के सशस्त्र बलों में कम से कम तीन वर्ष सेवा में रहे हो तथा जो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उनके अनुभव तथा अन्य अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए अन्यथा विचार योग्य तथा उपयुक्त पाये गये हो, नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को, जहाँ ऐसी अर्हता, मिडिल स्कूल परीक्षा या कोई निम्न परीक्षा उत्तीर्ण होना विहित हो, शिथिल कर सकेगा।

(2–क) तृतीय श्रेणी के पदों पर किसी आरक्षित रिक्ति में नियुक्ति के लिये मैट्रिक उत्तीर्ण ऐसा भूतपूर्व सैनिक, (जिस पद के अंतर्गत वह भूतपूर्व सैनिक भी आता है, जिसने भारतीय सेना शिक्षा विशेष प्रमाण–पत्र या नौ–सेना का वायु से नाका तत्स्थानी कोई प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त कर लिया है) जिसने संघ के सशस्त्र बलों में 15 वर्ष से अन्यून सेवा की हो, ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने का पात्र हो सकेगा जिनके लिये विहित आवश्यक शैक्षिक अर्हता स्नातक की उपाधि है और जहाँ–

(क) तकनीकी या वृतिक प्रकृति के कार्य का अनुभव नहीं है; या

(ख) यद्यपि, गैर–तकनीकी वृत्तिक कार्य का अनुभव होना आवश्यक है ऐसा विहित किया गया है, किन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि भूतपूर्व सैनिक से, अल्प–अवधि का कार्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उक्त पद के कर्तव्यों का पालन करने की आशा की जा सकती है।

(2–ख) तृतीय श्रेणी में किसी आरक्षित रिक्ति में नियुक्ति के लिये जहाँ विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मैट्रिक उत्तीर्ण है, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी स्वविवेकानुसार न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं को ऐसे भूतपूर्व सैनिक के पक्ष में शिथिल कर सकेगा, जिसने भारतीय सेवा वर्ग 1 परीक्षा या नौ–सेना या वायुसेना के समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और जिसने संघ के सशस्त्र बलों में कम से कम 15 वर्ष तक सेवा की हो और जो उसके अनुभव तथा अन्य अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए पद धारण करने के लिये अन्यथा उपयुक्त समझा गया हो।

(3) तृतीय श्रेणी पदों पर किसी आरक्षित रिक्ति को जो अंशतः सीधी भर्ती द्वारा तथा अंशतः पदोन्नति या स्थानान्तर द्वारा भरी जाना हो जहाँ सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये विहित न्यूनतम शैक्षणिक या तकनीकी अर्हता पदोन्नति या स्थानान्तरण के लिये विहित की गई उस अर्हता से अधिक हो, वहाँ भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यह समझा जायेगा कि वह शैक्षणिक या तकनीकी अर्हता पूरी करता है यदि वह – उस पद पर, जिससे कि प्रश्नाधीन पद पर पदोन्नति या स्थानान्तर किया जाना अनुज्ञात किया है सीधी भर्ती के लिये विहित शैक्षणिक या तकनीकी अर्हताएँ पूरी करता है।

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ, 3–1/79/3/1, दिनांक 14–5–79 द्वारा तृतीय श्रेणी के ऐसे पदों में जिनमें नियुक्तियाँ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं की जाती हैं तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधे ही नियुक्त किये जाने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने के लिये कुछ मापदण्ड भी निर्धारित किये गये थे। इन निर्धारित मापदण्डों पर पुनर्विचार कर शासन द्वारा अब निम्नलिखित पुनरीक्षित मापदण्ड निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है[3] :–

(1) अर्जुन/विक्रम पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को वर्तमान परम्परा के अनुसार ही बिना स्क्रीनिंग के तथा बिना खेल के भौतिक परीक्षण के उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाना यथावत चालू रखा जावे, यदि उपरोक्त आवेदन अर्जुन/विक्रम पुरस्कार प्राप्त करने के तीन वर्ष के भीतर दिये हों।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय एकल अथवा टीम प्रतियोगिता में पिछले तीन वर्षों में कभी भी भाग लिया हो, तो उसे बिना स्क्रीनिंग के उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाये, परन्तु जिन खिलाड़ियों ने पिछले तीन वर्षों से पांच वर्षों के भीतर भाग लिया हो उनका स्क्रीनिंग किया जाये और उसके बाद ही उकृष्ट घोषित किया जाये। जिन खिलाड़ियों ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पिछले वर्षों के पूर्व में भाग लिया हो और उसके साथ ही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी पिछले पाँच वर्षों में कम से कम एक बार भाग लिया हो, उनको साक्षात्कार और भौतिक परीक्षण करने के पश्चात् ही उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने की कार्यवाही की जाये।

(3) जिन खिलाड़ियों ने अखिल भारतीय ग्रामीण प्रतियोगिता/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पिछले तीन वर्षों से लगातार मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हो, परन्तु उस प्रतियोगिता में उन्होंने कोई पदक अर्जित किया हो अथवा पिछले पाँच वर्षों में कम से कम तीन बार राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व किया हो तो उनका स्क्रीनिंग किया जाये और

खिलाड़ी के स्तर का भौतिक परीक्षण किया जाये, तब उसके पश्चात् ही उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने की कार्यवाही की जाये।
(4) किसी भी खेल में विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जावे।

निष्कर्ष –

निष्कर्षतः भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य उनकी सामाजिक सुरक्षा और सम्मान को बढ़ाना है। यह प्रस्ताव उन्हें सरकारी समर्थन और सुविधाओं का पहुँच उपलब्ध कराकर उनके जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। भूतपूर्व सैनिकों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया है, और उन्हें इसके लिए समाज द्वारा सम्मानित होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों की सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में, उन्हें समाज के विभिन्न पहलुओं से समर्थन प्राप्त करने का हक होना चाहिए। इसमें उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिति, समाजिक सहायता, और आवास सुरक्षा शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा के इस क्षेत्र में उन्हें नियमित चिकित्सा सुविधाएं, मुफ्त चिकित्सा उपकरण, और आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें आदर्श आवास प्रोजेक्ट्स या अन्य सहायता स्कीमों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनका आवास सुरक्षित और उचित हो सके। इसके अलावा, भूतपूर्व सैनिकों को मानसिक समर्थन और सामाजिक सहयोग का भी लाभ मिलना चाहिए। उन्हें मानवीय संपर्क, समर्थन, और सहयोग प्रदान किए जाने चाहिए ताकि उनका समर्थन किया जा सके और उन्हें सामाजिक संपर्क में शामिल किया जा सके। सम्मिलित, भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का संशोधन उन्हें समाज में सम्मानित और सुरक्षित अवस्था में रखने का प्रयास करता है। इस प्रस्ताव के माध्यम से, सामाजिक न्याय और समानता को प्रोत्साहित किया जाएगा, और भूतपूर्व सैनिकों को एक और बेहतर माहौल सृजित किया जाएगा।

संदर्भ –

[1] पराडकर, श्री निवास – म.प्र., छ.ग. आरक्षण, अमर ला पब्लिकेशन्स, इंदौर, संस्करण 2018, पृष्ठ 234.
[2] पराडकर, श्री निवास – म.प्र., छ.ग. आरक्षण, अमर ला पब्लिकेशन्स, इंदौर, संस्करण 2018, पृष्ठ 235.
[3] पराडकर, श्री निवास – म.प्र., छ.ग. आरक्षण, अमर ला पब्लिकेशन्स, इंदौर, संस्करण 2018, पृष्ठ 417.